

## अध्याय - II

**टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड तथा टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड द्वारा साझा किया गया राजस्व**

### **2.1 प्रस्तावना**

टाटा टेलीसर्विसेज (टी टी एस एल) को 1996 में कम्पनी के रूप में निर्गमित किया गया था। इसने वर्ष 1999 में आंध्र प्रदेश राज्य में बतौर बेसिक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में संचालन शुरू किया। दिसम्बर 2002 में टी टी एस एल ने हयूजेस टेलीकॉम इंडिया लिमिटेड (एच टी आई एल) की प्रदत्त इकिवटी पूँजी का 50.38 प्रतिशत अर्जित किया। 13 फरवरी 2003 को, एच टी आई एल का नाम बदलकर टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड (टी टी एम एल) कर दिया गया और यह टी टी एस एल की एक सम्बद्ध कम्पनी है। बाद में, नवम्बर 2003 में कम्पनी को यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस (यू ए एस एल) व्यवस्था में स्थानांतरित कर दिया गया। इसने 30 जुलाई 2007 को राष्ट्रीय लंबी दूरी (एन एल डी) सेवा प्रदाता लाइसेंस (जिसे एन एल डी ओ भी कहा गया था) भी प्राप्त किया था तथा इसे 12 नवम्बर 2007 से प्रभावी ढंग से शुरू किया गया था। लाइसेंसधारी मुख्य रूप से टाटा इंडिकॉम ब्रांड के तहत कोड डिविजन मल्टीपल एक्सेस (सी डी एम ए) टेक्नोलॉजी के साथ सेवायें प्रदान करता था। इसने टाटा डोकोमो ब्रांड के तहत मार्च 2008 में मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी (जी एस एम) के लिए ग्लोबल सिस्टम पर सेवा प्रदान करना शुरू किया और वर्ष 2009 में सेवायें शुरू कीं। टी टी एस एल और टी टी एम एल सभी लाइसेंस सर्विस क्षेत्रों (एल एस ए) में यू ए एस लाइसेंस रखते हैं।

टी टी एस एल और टी टी एम एल को लेखापरीक्षा के लिए लिया गया और 2006-07 से 2009-10 की अवधि को कवर करने वाले निष्कर्षों को 2016 की भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की प्रतिवेदन संख्या 04 में शामिल किया गया। रिपोर्ट में इंगित किया गया था कि सकल राजस्व (जी आर)/समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर) ₹ 12017.36 करोड़ कम दर्शाए गए जिसके परिणामस्वरूप लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम यूसेज प्रभार का क्रमशः ₹ 1019.16 करोड़ और ₹ 338.52 करोड़ का कम भुगतान हुआ। वर्तमान लेखापरीक्षा के निष्कर्ष वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि कवर करते हैं।

### **2.1.1 टी टी एस एल और टी टी एम एल को प्रदान किये गये लाइसेंस**

टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड को सितम्बर 1997 में आंध्र प्रदेश एल एस ए में बेसिक लाइसेंस दिया गया था तथा अगस्त 2001 में इसे पांच और सेवा क्षेत्रों दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और चेन्नई के लिए भी बेसिक लाइसेंस दिये गये थे। बाद में जनवरी 2004 के दौरान, कम्पनी को 12 और लाइसेंस पश्चिम बंगाल, बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश (पश्चिम), उत्तर प्रदेश (पूर्व) और कोलकाता में दिये गये। 2008 में, असम, जम्मू एवं कश्मीर तथा उत्तर पूर्व के लिए तीन नये यू ए एस लाइसेंस प्राप्त किये गये थे। कम्पनी ने (मार्च 2008) जी एस एम प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए यू ए एस लाइसेंस में संशोधन करवाया। हालांकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असम, जम्मू

और कश्मीर और उत्तर-पूर्व के संबंध में लाइसेंस रद्द कर दिये गये और 18 जनवरी 2013 की मध्यरात्रि से सेवायें बंद कर दी गयी। महाराष्ट्र और मुम्बई एल एस ए में वास्तविक बेसिक लाइसेंस, टाटा टेलीसर्विसेज (महाराष्ट्र) लिमिटेड (पूर्व में एच टी आई एल) को सितम्बर 1997 में प्रदान किया गया था जो नवंबर 2003 में यू एस ए एल व्यवस्था में स्थानांतरित हुआ था।

### 2.1.2 टी टी एस एल व टी टी एम एल को आबंटित स्पेक्ट्रम

टी टी ए एल और टी टी एम एल दोहरी तकनीक अर्थात् ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन (जी एस एम) और कोड डिविजन मल्टीपल एक्सेस (सी डी एम ए) पर काम कर रहे हैं। 31 मार्च 2015 को टी टी एस एल और टी टी एम एल को आबंटित स्पेक्ट्रम की एल एस ए वार मात्रा नीचे तालिका 2.1 में दी गई है:

**तालिका 2.1**

क्र. सं.	एल एस ए/परिमण्डल का नाम	जी एस एम स्पैक्ट्रम	सी डी एम ए स्पैक्ट्रम	एम डब्ल्यू एक्सेस स्पैक्ट्रम के कैरियर की संख्या	एम डब्ल्यू बेकबोन स्पैक्ट्रम के कैरियर की संख्या
1	आन्ध्र प्रदेश	2x4.4	2x2.5	3	0
2	असम	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं
3	बिहार	2x4.4	2x2.5	4	1
4	चैन्नई	2x4.4	2x2.5	4	-
5	दिल्ली	0	2x3.75	4	-
6	गुजरात	2x4.4	2x2.5	4	1
7	हरियाणा	2x4.4	2x2.5	3	1
8	हिमाचल प्रदेश	2x4.4	2x2.5	3	2
9	जम्मू एवं कश्मीर	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं
10	कर्नाटक	2x4.4	2x2.5	4	-
11	केरल	2x4.4	2x2.5	4	-
12	कोलकाता	2x4.4	2x2.5	5	-
13	मध्य प्रदेश	2x4.4	2x2.5	3	2
14	उत्तर पूर्व	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं	मान्य नहीं
15	उड़ीसा	2x4.4	2x2.5	3	2
16	पंजाब	2x4.4	2x2.5	3	1
17	राजस्थान	2x4.4	2x2.5	3	2
18	तमिलनाडु	2x4.4	2x2.5	3	-
19	उत्तर प्रदेश पूर्व	2x4.4	2x2.5	3	1
20	उत्तर प्रदेश पश्चिम	2x4.4	2x2.5	2	2
21	पश्चिम बंगाल	2x4.4	2x2.5	4	2
22	महाराष्ट्र	2x4.4	2x2.5	5	2
23	मुम्बई	2x4.4	2x3.75	8	-

टी टी एस एल ने आठ एल एस ए अर्थात् गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उ.प्र. (प) और टी टी एम एल ने महाराष्ट्र के एक एल एस ए में 3जी स्पेक्ट्रम प्राप्त किया था और नवम्बर 2010 से 3जी सेवाओं की शुरूआत की है।

### 2.1.3 टी टी एस एल और टी टी एम एल द्वारा बताया गया सकल राजस्व (जी आर) और समायोजित सकल राजस्व (ए जी आर)

वर्ष 2010-11 से वर्ष 2014-15 के पांच वर्षों के लिए टी टी एस एल और टी टी एम एल द्वारा भुगतान की गई राजस्व हिस्सेदारी और रिपोर्ट की गई संयुक्त जी आर/ए जी आर को नीचे तालिका 2.2 में दिखाया गया है:

**तालिका 2.2**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ग्राहक बेस (करोड़ में)	जी आर	कटौतियाँ	ए जी आर	ए जी आर से जी आर की प्रतिशतता	राजस्व हिस्सेदारी का भुगतान (एल एफ+ एस यू सी)
2010-11	9.04	11,192.20	2,802.17	8,390.03	74.96	1,206.79
2011-12	8.32	13,598.68	3,724.71	9,873.97	72.61	1,247.44
2012-13	6.79	14,008.86	5,336.83	9,575.98	64.21	1,229.48
2013-14	6.45	13,960.36	4,644.03	9,316.33	66.73	1,127.27
2014-15	6.80	15,132.20	4,714.03	10,418.18	68.85	1,196.51
<b>कुल</b>		<b>68,796.25</b>	<b>21,221.76</b>	<b>47,574.49</b>	<b>69.15</b>	<b>6,007.49</b>

टी टी एस एल और टी टी एम एल के सभी लाइसेंसों के तहत बताया गया सकल राजस्व पिछले वर्षों की तुलना में 2010-11 से 2012-13 तथा 2014-15 के दौरान बढ़ रहा था।

मैसर्स टी टी एस एल ने अनुबंध के अनुसार वास्तविक भुगतान के आधार पर तथा बतायी गई ए जी आर जिस पर राजस्व हिस्सेदारी (एल एफ/एस यू सी) की गणना भुगतान के लिये की गई थी, पर कटौती का दावा किया था। जबकि, मैसर्स टी टी एम एल ने वर्ष 2010-11 से 2011-12 के दौरान लाइसेंस अनुबंधों की शर्तों के विपरीत वास्तविक आधार के बजाय प्रोद्भवन आधार पर और वर्ष 2012-13 से 2014-15 के दौरान वास्तविक भुगतान के आधार पर कटौती का दावा किया था एवं ए जी आर बताई गई, जिस पर भुगतान के राजस्व हिस्सेदारी (एल एफ/एस यू सी) की गणना की गई।

### 2.2 राजस्व को कम बताया गया

टी टी एस एल और टी टी एम एल के अभिलेखों/लेखे की पुस्तकों की लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि निम्न मामलों पर इन कम्पनियों द्वारा लाइसेंस अनुबंध के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया:

## 2.2.1 डीलरों/वितरकों को दिए गए छूट/कमीशन के नेट ऑफ के कारण राजस्व कम बताया गया

वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक टी टी एस एल के अभिलेखों के लेखापरीक्षा संवीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि वितरकों/फ्रेंचाइजी/एजेंट/डीलरों आदि को दिए जाने वाले कमीशन को राजस्व से नेट ऑफ किया गया था। चूंकि वितरकों/फ्रेंचाइजी/डीलरों को दिया गया कमीशन/मार्जिन व्यवसायिक व्ययों (विपणन खर्च) की प्रकृति का था, इसलिए, राजस्व के साथ इस प्रकार के व्ययों का घटाया जाना लाइसेंस शर्त के विरुद्ध था। इसके अलावा, डीलरों/वितरकों को दिया गया कमीशन भी नेट ऑफ किया गया था जिसके परिणामस्वरूप उतना ही राजस्व कम दर्शाया गया।

टी टी एस एल और टी टी एम एल के संबंध में वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान डीलरों/वितरकों को दी गई छूट की कुल राशि राजस्व से जो नेट ऑफ की गई थी क्रमशः ₹ 1,701.63 करोड़ और ₹ 263.96 करोड़ थी। इसी प्रकार, वर्ष 2010-11 के दौरान टी टी एस एल और टी टी एम एल के संबंध में डीलरों/वितरकों को भुगतान की गई राशि जो कि राजस्व से नेट ऑफ की गई थी क्रमशः ₹ 161.96 करोड़ और ₹ 4.86 करोड़ थी।

प्रबंधन ने बताया कि:-

- वितरक के साथ संबंध प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल आधार (पी टू पी) पर है और कम्पनी रिचार्ज वाउचर (आर सी वी)/इलेक्ट्रॉनिक रिचार्ज वैल्यू (ई वी डी) के लिए वितरकों को व्यापार छूट प्रदान करती है। कम्पनी द्वारा निकाली गई इनवॉइस में अधिकतम खुदरा मूल्य (एम आर पी) होता है जिस पर व्यापार छूट दी जाती है। कानून के तहत, किसी भी व्यक्ति को उत्पाद एम आर पी से कम कीमत पर बेचने का अधिकार है। परंतु यह एम आर पी से अधिक नहीं हो सकता। इसलिए व्यापार छूट या आर सी वी/ई वी डी पर थोक खरीद पर दी गई छूट और वितरकों को अनुमत की गई स्टार्टअप किट को लाइसेंस शुल्क की गणना के उद्देश्य से वापस नहीं जोड़ा जाना चाहिए।
- एस यू के के लिए, कंपनी वितरकों से आदेश प्राप्त करती है और एस यू के की बिक्री के लिए वितरकों को व्यापार छूट देती है। कंपनी द्वारा बनाई गई इन वॉइस पर एम आर पी होता है जिस पर व्यापार छूट दी जाती है। वितरकों को एस यू के की बिक्री पर, ऐसे एस यू के के सभी अधिकार, टार्फटल, स्वामित्व और संपत्ति वितरकों को स्थानांतरित की जाती है और हानि/क्षति के जोखिम सहित सभी जोखिम वितरकों द्वारा वहन किया जाता है।
- लेखांकन मानक 9 (ए एस 9) में कम्पनी के राजस्व निर्धारण के लिए सकल राजस्व से ग्राहकों को दी गई छूट के नेट ऑफ अनुमत्य है।
- यू ए एस एल अनुबंध की धारा 19.1 के अंतर्गत परिभाषा एक समावेशी परिभाषा है और स्पष्ट रूप से उन सभी संभव सेवाओं को सम्मिलित किया है जो एक यू ए

एस लाइसेंसधारी को प्रदान करना चाहिये। इस संदर्भ में टैरिफ आदेश संख्या-303/8/2002-ट्राई/(इकॉन) दिनांक 6 सितम्बर 2002 द्वारा जारी किए गए दूरसंचार सेवाओं के मूल्य निर्धारण संबंधित अधिनियम का उल्लेख करना आवश्यक है इस विनियम में उल्लेख किया गया है कि सेल्यूलर मोबाइल टेलीकॉम सेवाएं, किराये, एयरटाइम प्रभार, रोमिंग (क्षेत्रीय और राष्ट्रीय रोमिंग सहित), रिफंडेबल प्रतिमूल्य जमा, अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग, रोमिंग से संबंधित अन्य मामलों, प्रीपेड सेवा के लिए टैरिफ, स्थगित किये गये हैं। इसलिए यह लाइसेंसधारी के विवेक पर छोड़ दिया गया कि वह नियामक के किसी भी हस्तक्षेप के बिना प्रीपेड और पोस्ट पेड सेवा के लिए टैरिफ तय करे। स्थगन के शीर्षक के तहत ट्राई को टैरिफ में दी गई छूट को पूरी तरह लाइसेंसधारी के विवेक पर छोड़ा गया है।

प्रबंधन का उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि:-

- वितरकों को प्रीपेड उत्पादों (आर सी वी/ई वी डी) और एस यू के की बिक्री प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल (पी टू पी) के अंतर्गत नहीं बताई जा सकती क्योंकि ग्राहक को सेवा प्रदान करने की अंतिम जिम्मेदारी लाइसेंसधारी के पास होती है, न कि वितरकों के पास। वितरक केवल सेवा प्रदाताओं (लाइसेंसधारी) और सेवा उपयोगकर्ताओं (अभिदाताओं) के बीच चैनल भागीदार हैं। यदि टी टी एल ने सीधे अभिदाताओं को कार्ड बेचे होते तो राजस्व में प्रदान की गई सेवाओं का पूरा मूल्य लेखांकित होता तथा बिक्री व्यय को भी व्यय के रूप में लेखांकित किया जाता। इसी अनुरूपता के अनुसार, वितरकों को दी गई छूट/कमीशन विपणन व्यय की प्रकृति का होगा और इस प्रकार, यू ए एस एल अनुबंध की धारा 19.1 के तहत राजस्व हिस्सेदारी की गणना के लिए इसे राजस्व से नहीं घटाना चाहिए।
- जबकि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है, लेखापरीक्षा का मानना है कि वितरकों/फ्रेंचाइजी/डीलरों को छूट/मार्जिन का भुगतान विपणन व्ययों की प्रकृति का होता है, इसलिए, राजस्व से इस प्रकार के व्यय को घटाया जाना लाइसेंस की शर्त के विरुद्ध था।

इस प्रकार, टी टी एस एल और टी टी एम एल के संबंध में वितरकों/डीलरों को दी गई छूट को नेट ऑफ करने के कारण जी आर/ए जी आर का ₹ 1965.60 करोड़ का कम अंकन हुआ जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार को एल एफ और एस यू सी का क्रमशः ₹ 167.40 करोड़ और ₹ 73.54 करोड़ का कम भुगतान हुआ (**अनुलग्नक-2.01**)। इसी प्रकार टी टी एस एल और टी टी एम एल के संबंध में वितरकों/डीलरों को दिए गए कमीशन को नेट ऑफ करने के कारण जी आर/ए जी आर का ₹ 166.82 करोड़ का कम अंकन हुआ परिणामतः भारत सरकार को एल एफ और एस यू सी का क्रमशः ₹ 14.80 करोड़ और ₹ 6.14 करोड़ का कम भुगतान हुआ (**अनुलग्नक-2.02**)।

**2.2.2 अभिदाताओं को दी गयी छूट/फ्री एयर टाइम और फुल टॉक टाइम को नेट ऑफ करने के कारण राजस्व कम बताया गया**

ठी ठी एस एल/ठी ठी एम एल ने प्रीपेड अभिदाताओं को दिए गए फ्री एयरटाइम (एफ ए टी) के मूल्य और पोस्टपेड ग्राहकों (लीज़ लाइन के अतिरिक्त) को दी गई वोल्यूम छूट को राजस्व से नेट ऑफ किया। राजस्व से नेट ऑफ की गई ऐसे छूटों का विवरण नीचे तालिका 2.3 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.3

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	उत्पाद	ठी ठी एस एल	ठी ठी एम एल	कुल राशि
1.	डी आई एस-वाल्यूम	पोस्टपेड*	385.53	269.16	654.69
2.	डी आई एस- रिचार्ज कार्ड छूट	प्रीपेड	1047.20	160.19	1207.39
3.	डी आई एस-3जी फुल टॉक टाइम	प्रीपेड	7.52	1.52	9.04
4.	डी आई एस - नकद छूट	प्रीपेड	11.79	0.84	12.63
<b>कुल</b>			<b>1452.04</b>	<b>431.71</b>	<b>1883.75</b>

\* लीज़ लाइन छूट को छोड़कर

प्रबंधन ने कहा कि:-

- ग्राहकों को दी जाने वाली छूट सामान्य व्यापार करते समय दी जाने वाली एक नियमित टेलीकॉम प्रोडक्ट थी तथा कंपनी को सकल धनापूर्ति, प्राप्तियां या अन्य विचार का कोई परिणाम नहीं देती है और दी गई छूट को प्राप्ति न ही माना जाता है और न ही माना जाएगा।
- अभिदाताओं को दिया गया फ्री व फुल टॉक टाइम का ऑफर व्यवसाय प्रोत्साहन कार्यकलाप नहीं है। ये ऑफर किसी अन्य आपरेटर द्वारा अभिदाता को दिये गये ऑफर के समान है जिसे ट्राई के साथ भलीभांति दर्ज किया गया था।
- दूरसंचार विभाग ने अपने अंतर कार्यालय ज्ञापन दिनांक 24 सितम्बर 2008 द्वारा भी स्पष्ट किया था कि “यदि किसी कम्पनी ने नेट सही आंकड़े दिए हैं, तो रिबेट/छूट के ब्यौरे के लिए पूछा जाना चाहिए और ऐसे छूट/रिबेट की राशि जो ट्राई द्वारा अनुमोदित नहीं है, को सकल राजस्व में जोड़ा जाएगा”।
- यह मामला न्यायाधीन है और इसलिए कंपनी द्वारा ए जी आर की गणना में अतिरिक्त टॉक टाइम के कारण काल्पनिक राजस्व को शामिल नहीं करना सही है क्योंकि ए जी आर की गणना में अतिरिक्त टॉक-टाइम के मूल्य को वापस जोड़ने से काल्पनिक राजस्व पर एल एफ का भुगतान होगा जिसका न तो बिल बनाया गया है और न ही प्राप्त किया गया तथा जो ठी डी सैट द्वारा बनाए नियमों के

विरुद्ध भी है। 23 अप्रैल 2015 के अपने फैसले में भी, टी टी सेट ने दोबारा इस बात पर ज़ोर दिया था।

प्रबंधन का उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि:-

- अभिदाताओं को दी गई फ्री टॉक टाइम और वाल्यूम डिस्काउंट व्यवसाय प्रोत्साहन एवं रिलेशन बनाने की गतिविधियों की प्रकृति के थे। इसके अतिरिक्त, टैरिफ के अनुसार दिए गए तथा ग्राहकों/एजेंटों को प्रोत्साहन के लिए दिए गए एफ ए टी/एफ टी टी/प्रोमो ऑफर इत्यादि के विवरण नहीं भेजे गये थे। लेखापरीक्षा का मानना है कि एयरटाइम एक मुफ्त दी जाने वाली वस्तु नहीं है, इसका एक आंतरिक मूल्य था और एफ ए टी/एफ टी टी/प्रोमो ऑफर आदि देकर, लाइसेंस धारियों ने राजस्व कम दिखाया तथा एल एफ और एस यू सी को बचाया।
- हालांकि मामला न्यायाधीन है, लेखापरीक्षा का मत है कि जी आर से एफ ए टी/एफ टी टी/प्रोमो ऑफर आदि के नाम पर प्रीपेड राजस्व को नैट ऑफ कर देना, लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन था।

इस प्रकार, टी टी एस एल और टी टी एम एल द्वारा ग्रहकों को दिए गए एफ ए टी/वॉल्यूम डिस्काउंट के मूल्य सेट ऑफ के परिणामस्वरूप वर्ष 2010-11 से 2014-15 के लिए जी आर/ए जी आर में ₹ 1883.75 करोड़ का कम अंकन हुआ और इसी कारण भारत सरकार को एल एफ और एस यू सी का क्रमशः ₹ 158.39 करोड़ और ₹ 71.87 करोड़ का कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक-2.03)।

### 2.2.3 अभिदाताओं को अनुमत वेवर को नेट ऑफ करने के कारण राजस्व कम बताया गया

यू ए एस एल अनुबंध के अनुसार, सकल राजस्व में प्रतिष्ठापन प्रभार, विलम्ब फीस, हेंडसेट (या अन्य किसी टर्मिनल उपकरण इत्यादि) की बिक्री आय, व्याज के कारण राजस्व, लाभांश, मूल्य वर्धित सेवाएं, पूरक सेवाएं, एक्सेस या अंतसंयोजन प्रभार, रोमिंग शुल्क, अवसंरचना की अनुमत हिस्सेदारी से आय और किसी भी अन्य प्रकार का राजस्व, व्यय आदि, से संबंधित मद को सेट ऑफ किए बिना शामिल किया जायेगा।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान, टी टी एस एल/टी टी एम एल ने राजस्व से संग्रहण और निपटान छूट के साथ-साथ गुडविल जेस्चर छूट को नेट किया। इन वर्षों में टी टी एस एल और टी टी एम एल ने क्रमशः ₹ 159.12 करोड़ और ₹ 27.25 करोड़ के इस प्रकार के वेवर की कुल राशि को नेट ऑफ किया।

उपरोक्त तथ्यों और आकड़ों की पुष्टि करते हुए, प्रबंधन ने बताया कि:-

- लेखांकन मानक-9 के अनुसार, राजस्व की परिभाषा के तहत इस प्रकार की छूट राजस्व का हिस्सा नहीं होती है।
- वेवर व्यय नहीं होते हैं तथा तदानुसार राजस्व में समायोजित किये जाते हैं।

यह उत्तर युक्तियुक्त नहीं हैं क्योंकि एकत्रित की गई राशि पर वेवर और निपटान वेवर तथा गुडविल वेवर उपभोक्ताओं को बाद में बिलिंग के समय दी गई छूट थी तथा यू ए एस एल अनुबंध के खंड 19.1 के अंतर्गत राजस्व की हिस्सेदारी की गणना के उद्देश्य से राजस्व से नेट ऑफ नहीं किए जा सकते।

अतः टी टी एस एल और टी टी एम एल द्वारा वेवरों को नेट ऑफ करने के परिणामस्वरूप वर्ष 2010-11 से 2014-15 के लिए जी आर/ए जी आर में ₹ 186.37 करोड़ का कम अंकन हुआ और इसी कारण भारत सरकार को एल एफ और एस यू सी का क्रमशः ₹ 15.95 करोड़ और ₹ 7.01 करोड़ का कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक-2.04)।

#### 2.2.4 अवसरचना हिस्सेदारी से राजस्व को कम बताया गया

यू ए एस एल अनुबंध के खंड 19.1 के अनुसार, सकल राजस्व में व्यय से संबंधित मद आदि को सैट ऑफ किये बिना अवसरचना की अनुमत्य हिस्सेदारी से प्राप्त राजस्व भी शामिल होगा।

लेखापरीक्षित ए जी आर विवरणों की संवीक्षा के साथ साथ टी टी एस एल के विवरणों पर टिप्पणियों से पता चलता है कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान, अन्य ऑपरेटरों से “ओपेक्स रिसीट फॉर इन्फरा शेयरिंग” की राशि जो ₹ 107.52 करोड़ थी, को सकल राजस्व के लिए विचार नहीं किया गया।

प्रबंधन ने बताया कि:-

- एक संपर्क बिन्दु के रूप में परिचालित व्यय के लिए टी टी एस एल द्वारा भुगतान किया गया था ताकि स्थानीय प्राधिकारियों को समय पर भुगतान किया जा सके तथा विभिन्न आपरेटरों के बीच समन्वय के समय को कम किया जा सके।
- वसूली लागत पर होती है अतः ये प्रतिपूर्ति की प्रकृति के थे न कि राजस्व की प्रकृति के, चूंकि अन्य ऑपरेटरों पर कोई सेवा प्रभार नहीं है। इसके अतिरिक्त, लाइसेंस नियमों और शर्तों के तहत कोई भी सेवायें प्रदान नहीं की गई थी और इसलिये, वसूलियों को ए जी आर में नहीं शामिल किया जा सकता।
- इन प्रतिपूर्तियों का बिल लागत दर लागत के आधार पर बनाया जाता है और ये लाभ/मार्क-अप नहीं होते हैं और इसलिए कंपनी का मत है कि ओपेक्स व्यय की प्रतिपूर्ति ए जी आर का हिस्सा नहीं होनी चाहिये।
- एस एस-9 के अनुसार, चूंकि ऑपरेटरों द्वारा प्रतिपूर्ति कम्पनी के लिये सामान आदि की बिक्री से एन्टरप्राइज की साधारण गतिविधियों के दौरान उद्भूत सकल धनापूर्ति का कारण नहीं होती है, ऐसी प्रतिपूर्ति पर राजस्व के रूप में विचार नहीं किया जा सकता है तथा यह ए जी आर का भाग नहीं होना चाहिये।
- इसके अतिरिक्त, माननीय टी डी सैट ने 23 अप्रैल 2015 के अपने निर्णय में कहा कि “अवसरचना प्रचालन व्ययों की प्रतिपूर्ति” ने स्पष्ट तौर पर निर्धारित किया है कि भुगतान जो व्यय-प्रतिपूर्ति की प्रकृति का था, राजस्व नहीं माना जा सकता।

- लेखापरीक्षा टिप्पणी के अनुसार, आंकड़े ₹ 107.52 करोड़ थे यद्यपि ए जी आर प्रमाणपत्र के अनुसार ₹ 0.43 करोड़ की ओपेक्स वसूली के उलटाव पर विचार करने के बाद यह केवल ₹ 107.09 करोड़ था।

उत्तर पर लेखापरीक्षा के विचार निम्नलिखित हैं:

- उत्तर के आधार पर राजस्व हिस्सेदारी के लिये जिस की गई संशोधित राशि ₹ 107.09 करोड़ है।
- लाइसेंस अनुबंध के अनुसार, जी आर की परिभाषा में व्यय की सम्बन्धित मद के लिये सैट ऑफ के बिना अवसंरचना की अनुमत्य हिस्सेदारी से राजस्व स्पष्ट तौर पर शामिल है;
- जैसाकि उत्तर में बताया गया था, दूरसंचार विभाग ने दिनांक 23 अप्रैल 2015 को टी डी सैट के निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की थी। यद्यपि मामला सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीन है, लेखापरीक्षा का मत है कि यू ए एस एल खंड 19.2 के तहत दी गई अनुमति के अलावा, राजस्व से कोई कटौती नहीं देता है, अवसंरचना हिस्सेदारी राजस्व से ओपेक्स की कटौती यू ए एस एल अनुबंध के अनुरूप नहीं थी।

इस प्रकार 2010-11 से 2014-15 के वर्षों के दौरान अवसंरचना स्थल हिस्सेदारी राजस्व ओपेक्स वसूली की राशि से नैट ऑफ करने के कारण जी आर/ए जी आर का ₹ 107.09 करोड़ कम अंकन हुआ इससे भारत सरकार को एल एफ व एस यू सी का क्रमशः ₹ 9.15 करोड़ तथा ₹ 3.85 करोड़ कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक-2.05)।

## 2.2.5 जी आर/ए जी आर के लिए फोरेक्स लाभ पर विचार न करना

2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिये टी टी एस एल/टी टी एम एल द्वारा प्रेषित डेटा/अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि यद्यपि लेखापुस्तकों में विदेश विनिमय के उतार-चढ़ाव के कारण फोरेक्स लेखा कोड में लाभ दर्ज किया था, जी आर/ए जी आर के लिये इस पर कोई विचार नहीं किया गया था।

2010-11 से 2014-15 के लिये फोरेक्स के लिए प्रचलित लेखा शीर्ष में वसूले गए लाभ को ध्यान में रखते हुए यह देखा गया कि टी टी ए एल व टी टी एम एल के लिए क्रमशः ₹ 887.38 करोड़ और ₹ 476.66 करोड़ का वसूला गया फोरेक्स लाभ, ए जी आर में शामिल नहीं किया गया।

प्रबंधन ने बताया कि:-

- फोरेक्स लाभ कम्पनी की प्राथमिकता व अनुपूरक सेवाओं से उपार्जित नहीं हुआ था जैसाकि अपने उपभोक्ताओं/अभिदाताओं को दूरसंचार सेवायें उपलब्ध कराना/विदेशी मुद्रा में उतार चढ़ाव किसी लाइसेंसड गतिविधि से उद्भूत नहीं होते हैं और इसलिए ए जी आर में शामिल नहीं होते हैं। फोरेक्स लाभ सामान्यतः

विदेशी विक्रेताओं/उधारदाताओं आदि के लिए किए गए प्रावधानों के पुनर्मूल्यांकन, विनिमय परिसम्पत्ति और उत्तरदायित्व का पुनर्मूल्यांकन आदि के कारण उद्भूत होते हैं तथा इनके लाभ और हानि काल्पनिक होते हैं और वसूल नहीं हो सकते तथा तदानुसार ऐ जी आर में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

- विदेशी मुद्रा में अंतर तब उत्पन्न होते हैं जब उनकी दरें शुरूआत में पुस्तकों में दर्ज की गई दरों से अलग होते हैं यदि विदेशी विक्रेताओं को भुगतान देय है और रूपया विदेशी मुद्रा के मुकाबले गिरता है, तो इसे वार्षिक वित्तीय विवरण में व्यय के रूप में और यदि बढ़ता है तो लाभ के रूप में पहचाना जाता है।
- साथ ही विदेशी मुद्रा पर किसी कारणवश हानि होने पर कोई सेट ऑफ नहीं दिया जाता।
- दिनांक 23.04.2015 के अपने निर्णय में माननीय ठी डी सैट ने बताया था कि विदेशी मुद्रा के उत्तार-चढ़ाव के कारण किसी भी लाभ या हानि का असर लाइसेंस फीस पर नहीं होना चाहिए।

प्रबंधन का उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि:-

- लेखापरीक्षा द्वारा केवल वसूले गए लाभ को ही ध्यान में रखा गया था;
- लाइसेंस अनुबंध के अनुसार, जी आर में किसी भी अन्य विविध राजस्व शामिल किया जाएगा और लेखापरीक्षा का मानना है कि पी एस पी का किसी भी प्रकार का आकस्मिक लाभ जी आर में लिया जाना चाहिए क्योंकि विदेशी मुद्रा लाभ पी एंड एल खाते में आय के रूप में माना जाता है;
- दूरसंचार विभाग द्वारा 23 अप्रैल 2015 के ठी डी सैट निर्णय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। जब तक मामला न्यायाधीन है, लेखापरीक्षा का मत है कि चूंकि विदेशी मुद्रा के लाभ की गणना पी एंड एल खाते में आय के रूप में होती है, विदेशी मुद्रा के उत्तार-चढ़ाव से उद्भूत वसूला गया लाभ, लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार राजस्व की गणना के लिए जी आर/ए जी आर में शामिल किया जाना चाहिए।

अतः वसूले गए विदेशी मुद्रा लाभ को ध्यान में न रखने के कारण जी आर/ए जी आर में ₹ 1364.04 करोड़ का कम अंकन हुआ जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार को एल एफ और एस यू सी में क्रमशः ₹ 115.22 करोड़ और ₹ 14.16 करोड़ का कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक-2.06)।

## 2.3 राजस्व तथा एल एफ के विवरण में राजस्व का कम बताया जाना यद्यपि उनको लेखापुस्तकों में (ए जी आर विवरण) दर्ज किया गया

### 2.3.1 निवेशों की बिक्री से लाभ पर विचार न करना

लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार, लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तावित सभी सेवाओं पर प्रोद्भूत राजस्व जिसमें ब्याज, लाभांश आदि एवं अन्य विविध राजस्व संबंधित मद के व्यय आदि को सेट आफ किए बिना शामिल है, सकल राजस्व में शामिल होगा। एस ए पी से प्राप्त ए जी आर के विवरणों की संविक्षा, खाते और रिपोर्ट, की समीक्षा में पता चला कि टी टी एस एल और टी टी एम एल के संबंध में वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान निवेशों की बिक्री पर लाभ क्रमशः ₹ 240.67 करोड़ और ₹ 16.40 करोड़ थे, जिन पर जी आर/ए जी आर की गणना के लिए विचार नहीं किया गया था।

प्रबंधन ने बताया कि:-

- कंपनी ने ऋण म्यूचुअल फंड में निवेश पर लाभ अर्जित किया है जो बैंकों से उधार ली गई गैर— लाभकारी निधि के निवेश से बाहर था और अस्थायी तौर पर अल्पावधि तरल निवेशों में निवेश किया गया था, ताकि उधार पर बैंकों को भुगतान योग्य ब्याज लागत बोझ को कम किया जा सके, उस समय तक जब तक नेटवर्क के निर्माण के लिए भुगतान की आवश्यकता है; और
- लेखांकन मानक 3 (ए एस-3) के अनुसार, निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह को ऑपरेटिंग गतिविधियों से नकदी प्रवाह से अलग माना जाता है। ए एस-3 की युक्ती के अनुसार, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ऐसे अल्पकालिक निवेश से आय कंपनी की सामान्य गतिविधियों का हिस्सा नहीं है।

प्रबंधन का उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि लाइसेंस अनुबंध की शर्तों के अनुसार सकल राजस्व में व्यय के संबंधित मद के लिए बिना सेट ऑफ किए अन्य विविध राजस्व शामिल होगा और स्थायी संपत्ति की बिक्री पर लाभ पी एंड एल खाते में आय के रूप में दर्ज किया गया था।

अतः वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि से संबंधित निवेशों की बिक्री पर लाभ को शामिल न करने पर जी आर/ए जी आर में ₹ 257.07 करोड़ का कम अंकन हुआ जिसमें भारत सरकार को एल एफ और एस यू सी का क्रमशः ₹ 21.52 करोड़ और ₹ 9.50 करोड़ का कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक-2.07)।

### 2.3.2 ब्याज आय पर विचार न करना

लाइसेंस अनुबंध के अनुसार, राजस्व हिस्सेदारी के भुगतान के उद्देश्य से जी आर में ब्याज के खाते पर राजस्व को शामिल करना होगा। ए जी आर विवरणों की संविक्षा, पी एंड एल खातों और एस ए पी रिपोर्ट से पता चला है कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए टी टी एस एल और टी टी एम एल के पी एंड एल खातों में दर्ज क्रमशः

₹ 326.08 करोड़ और ₹ 11.63 करोड़ ब्याज आय पर जी आर/ए जी आर की गणना के लिए विचार नहीं किया गया।

प्रबन्धन ने कहा कि:-

- कम्पनी पूँजी प्रधान उद्योग में प्रचालन करती है इसके लिये नेटवर्क में बहुत निवेश अपेक्षित है तथा इसे आंशिक रूप से ऋण निधि द्वारा व आंशिक रूप से इक्विटी इनफलो (अन्तःप्रवाह) द्वारा निधि में दी जाती है। उपलब्ध ऋण निधि में से निकाली गई वह निधि जिसकी शीघ्र आवश्यकता नहीं होती है, को म्युचुअल फंड तथा बैंक जमा में अस्थायी रूप से निवेश किया गया ताकि कम्पनी के ब्याज का बोझ कम किया जा सके। अतः इस प्रकार की आय कम्पनी की दूरसंचार गतिविधियों में से राजस्व के रूप में नहीं मानी जानी चाहिये;
- टी टी एस एल के पास आन्तरिक प्रोद्भवन में से उत्पन्न अतिरिक्त निधि नहीं है तथा ये आहरण ऋण के अस्थायी शेष है जोकि व्यवसाय में शामिल किये जाने हैं;
- लेखांकन मानक 3 (ए एस-3) के अनुसार, निवेश गतिविधियों से प्राप्त नकद प्रवाह को प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह से पृथक् माना गया है। ए एस-3 उक्ति का पालन करते हुये, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इस प्रकार की कम अवधि निवेश से आय कम्पनी की साधारण गतिविधि का भाग नहीं होती हैं;
- पुनः, परिनियोजित ऋण निधि के निवेश के माध्यम से सम्पत्ति के निर्माण के दौरान अर्जित ब्याज आय को पूर्व में अप्रत्यक्ष परियोजना लागत के भाग के रूप में भी विचार किया गया था तथा निधि ऋण पर निवल ब्याज लागत को पूँजीगत बना दिया गया था। यह वर्तमान लेखांकन मानक 16 –उधार लागत, के अनुरूप है पैरा 10 यह बताता है कि जहां तक “अर्हकारी सम्पत्ति प्राप्त करने के प्रयोजन हेतु निधि विशेष रूप से उधार ली गई है, उस सम्पत्ति पर पूँजीकरण के लिये मान्य उधार लागत की राशि उस अवधि के दौरान वास्तविक उधार लागत उस उधार के अस्थायी निवेश पर किसी आय को छोड़कर निर्धारित की जानी चाहिये।” अतः भारतीय लेखांकन मानकों के तहत दिशानिर्देश भी परियोजना निधिकरण में से अपरिनियोजित निधि पर ब्याज आय का विचार एक भाग के रूप में करते हैं तथा इसे परियोजना के लिये ऋण निधि पर ब्याज लागत से सम्बद्ध किया था।

कम्पनी निधि का निवेश ऋण निधि तथा इक्विटी शेयर होल्डर से प्राप्त अंशदान में से करती है।

प्रबन्धन का उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि लाइसेंस अनुबंध स्पष्ट तौर पर राजस्व हिस्सेदारी हेतु जी आर/ए जी आर की गणना के लिये ब्याज, लाभांश व किसी अन्य विविध राजस्व के समावेशन को निर्धारित करते हैं।

इस प्रकार, 2010-11 से 2014-15 की अवधि से सम्बन्धित ब्याज आय शामिल न किये जाने के कारण जी आर/ए जी आर ₹ 337.71 करोड़ कम बताये गये इससे भारत सरकार को एल एफ व एस यू सी का भुगतान क्रमशः ₹ 29.50 करोड़ तथा ₹ 12.45 करोड़ कम हुआ (अनुलग्नक-2.08)।

### 2.3.3 अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री से हुये लाभ पर विचार न करना

लाइसेंस अनुबंध के अनुसार में, सकल राजस्व में लाइसेंसधारक द्वारा प्रदान की गई सभी सेवाओं पर उपार्जित राजस्व इसमें ब्याज, लाभांश आदि तथा अन्य कोई विविध राजस्व शामिल हैं में से सम्बन्धित मद आदि के लिये किसी सैट ऑफ के बिना शामिल होगा। लेखापरीक्षा ने देखा कि टी टी एस एल व टी टी एम एल द्वारा जी आर/ए जी आर के परिकलन हेतु वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान क्रमशः ₹ 8.11 करोड़ तथा ₹ 41.71 करोड़ की अचल सम्पत्तियों के बिक्री से हुये लाभ की गणना पर विचार नहीं किया गया था इससे ए जी आर कम बताये गये थे।

प्रबन्धन ने बताया कि:-

- ए एस-9 के निबन्धनों में, परिसम्पत्ति/स्क्रैप की बिक्री से हुआ लाभ राजस्व है तथा ऐसी आय सामान की बिक्री व सेवायें प्रदान करने से एन्टरप्राइज की साधारण गतिविधि की प्रकृति की नहीं होती हैं। इसका समर्थन नकदी प्रवाह विवरण में लेखांकन मानक 3 ने भी किया है जो कि अचल परिसम्पत्तियों के निपटान से बिक्री आय को निवेश गतिविधि मानता है न कि परिचालन गतिविधि।
- चूंकि ये उत्पादकता बनाये रखने के लिये पुरानी परिसम्पत्तियों का मात्र प्रतिस्थापन है, स्क्रैप की बिक्री पर इस प्रकार का समायोजन जो कि बुक गेन दर्शाता है, ए जी आर में नहीं होना चाहिये। कम्पनी स्क्रैप की बिक्री के कारोबार में नहीं है और इस प्रकार यह कम्पनी के सामान्य परिचालन का भाग नहीं है। स्क्रैप की बिक्री एक ऐसी गतिविधि है जिसमें किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है और कोई भी इस प्रकार की गतिविधि को कर सकता है।
- टी डी सैट ने 23 अप्रैल 2015 के निर्णय में बताया कि “कैपिटल परिसम्पत्ति की बिक्री पर लाभ व स्क्रैप की बिक्री से प्राप्ति दो प्रकार की हो सकती है, सकल बुक वैल्यू के अतिरिक्त लाभ तथा निवल बुक वैल्यू के अतिरिक्त लाभ। लाभ व हानि के खातों में निवल बुक वैल्यू के अतिरिक्त लाभ को आय के रूप में भी दर्शाया जाये। फिर भी, यदि प्रतिवादी का निर्णय स्वीकार किया भी जाये तो भी सकल राजस्व की गणना हेतु इस पर विचार नहीं किया जा सकता है”

निम्नलिखित के कारण उत्तर युक्तियुक्त नहीं है:

- लाइसेंस अनुबंध में जी आर की परिभाषा जी आर/ए जी आर में राजस्व हिस्सेदारी के परिकलन की गणना हेतु विविध राजस्व के अनुसार।

- 23 अप्रैल 2015 के टी डी सैट के निर्णय के सम्बंध में, दूरसंचार विभाग ने निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक अपील दर्ज की थी। यद्यपि मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, लेखापरीक्षा का विचार है कि यू ए एस एल अनुबंध की शर्तों के अनुसार अचल परिसम्पत्तियों से लाभ कम्पनी का जी आर होना चाहिये।

इस प्रकार, अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ शामिल न किये जाने के कारण जी आर/ए जी आर ₹ 49.82 करोड़ कम बताये गये तथा भारत सरकार को एल एफ व एस यू सी का भुगतान क्रमशः ₹ 4.86 करोड़ तथा ₹ 2.10 करोड़ कम हुआ (अनुलग्नक - 2.09)।

### 2.3.4 विविध आय पर विचार न करना

लाइसेंस अनुबंध के निबन्धनों में, सकल राजस्व में लाइसेंसधारक द्वारा प्रदान की गई सभी सेवाओं पर उपर्जित राजस्व का जिसमें ब्याज, लाभांश आदि तथा अन्य कोई विविध राजस्व व्यय की सम्बन्धित मद आदि के लिये कोई सैट आफ किए बिना शामिल होगा। लेखापरीक्षा ने देखा कि टी टी एस एल व टी टी एम एल द्वारा जी आर/ए जी आर की गणना हेतु वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान ₹ 9.08 करोड़ तथा ₹ 2.54 करोड़ की स्क्रैप की बिक्री के कारण विविध आय पर विचार नहीं किया गया था इससे ए जी आर कम बताये गये थे।

प्रबन्धन ने बताया कि:-

- ए एस-9 के निबन्धनों में, स्क्रैप की बिक्री राजस्व है तथा ऐसी आय सामान की बिक्री व सेवायें प्रदान करने से एन्टरप्राइज की साधारण गतिविधि की प्रकृति की भी नहीं होती हैं। इसका सर्वथन नकदी प्रवाह विवरण के लेखांकन मानक 3 से भी होता है जिसके तहत अचल परिसम्पत्तियों के निपटान से प्राप्त बिक्री आय निवेश गतिविधियों से संबंधित है न कि परिचालन गतिविधियों से।
- चूंकि ये उत्पादकता बनाये रखने के लिये पुरानी परिसम्पत्तियों का मात्र प्रतिस्थापन है, स्क्रैप की बिक्री पर इस प्रकार का समायोजन जो कि बुक गेन दर्शाता है कि ए जी आर में नहीं होना चाहिये कम्पनी स्क्रैप की बिक्री के कारोबार में नहीं है और इस प्रकार यह कम्पनी के सामान्य परिचालनों का भाग नहीं है। स्क्रैप की बिक्री एक ऐसी गतिविधि है जिसमें किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है और कोई भी इस प्रकार की गतिविधि को कर सकता है।
- टी डी सैट ने 23 अप्रैल 2015 के निर्णय में बताया कि “कैपिटल परिसम्पत्ति की बिक्री पर लाभ व स्क्रैप की बिक्री से प्राप्ति दो प्रकार की हो सकती है, सकल बुक वैल्यू के अतिरिक्त लाभ तथा निवल बुक वैल्यू के अतिरिक्त लाभ। लाभ व हानि खातों में निवल बुक वैल्यू के अतिरिक्त लाभ को आय के रूप में भी दर्शाया जाये। फिर भी यदि प्रतिवादी का निर्णय स्वीकार किया जाये तो भी सकल राजस्व की गणना हेतु इस पर विचार नहीं किया जा सकता है”

उत्तर युक्तियुक्त नहीं है, लेखापरीक्षा के विचार उपरोक्त पैरा 2.2.3 में दिये गये हैं।

इस प्रकार, स्कैप की बिक्री से आय को शामिल न करने के कारण ₹ 11.62 करोड़ के जी आर/ए जी आर कम बताये गये तथा भारत सरकार को एल एफ व एस यू सी का भुगतान क्रमशः ₹ 1.04 करोड़ तथा ₹ 0.44 करोड़ कम हुआ (अनुलग्नक-2.10)।

#### 2.4 अन्य मामलों के कारण राजस्व हिस्सेदारी का कम/गैर भुगतान

##### 2.4.1 जी आर से ए जी आर में बट्टे खाते में डाले गये अप्राप्य ऋणों के लिये अनियमित कटौती का दावा

यू ए एस एल अनुबंध के खंड 19.2 के अनुसार, समायोजित सकल राजस्व की गणना करने के उद्देश्य से सकल राजस्व से निम्नलिखित कटौतियों को हटा दिया जायेगा।

- (i) भारत में अन्य उपयुक्त/अधिकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को काल प्रभारों (एक्सेस प्रभार) से सम्बन्धित पब्लिक स्विच्च टेलीकॉम नेटवर्क (पी एस टी एन) का वास्तविक भुगतान।
- (ii) अन्य उपयुक्त/अधिकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को रोमिंग राजस्व का वास्तविक भुगतान
- (iii) यदि सकल राजस्व सेवा में कर व बिक्री कर को शामिल किया गया है तो सेवाओं के प्रावधान में सेवा कर तथा सरकार को बिक्री कर का वास्तविक भुगतान।

इस प्रकार अप्राप्य ऋण सकल राजस्व से कटौती के लिये उपयुक्त नहीं है।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 के लिये सैप ई आर पी प्रणाली व टी टी एस एल तथा टी टी एम एल के वार्षिक ट्रायल बैलेंस की समीक्षा से पता चला कि ए जी आर की गणना के लिये विवरणों को तैयारी करने में सेवाओं से प्राप्त राजस्व से बट्टे खाते में डाले गये अप्राप्य ऋण समायोजित किये गये थे।

टी टी एस एल व टी टी एम एल के सम्बंध में सम्बन्धित राजस्वों से अप्राप्य ऋणों की कुल समायोजित राशि वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान क्रमशः ₹ 664.79 करोड़ तथा ₹ 361.22 करोड़ थी।

प्रबंधन ने बताया कि:-

- लाइसेंस फीस का भुगतान प्रोद्भवन के आधार पर इस बात पर विचार किये बिना किया गया कि अंत में अभिदाता सेवा के लिये भुगतान करता है अथवा नहीं। यद्यपि कम्पनी दी गई सेवाओं के लिये संग्रह करने में उत्साहपूर्वक प्रयास करती है, कुछ अभिदाता भुगतान करने में विफल रहे तथा कम्पनी वास्तव में दी गई सेवाओं के लिये धन वसूल नहीं कर पाई।

- अतएव कम्पनी का कहना है कि इस प्रकार के अप्राप्य ऋण जो बट्टे खाते में डाले गये हैं कम्पनी के पास किसी भी प्रकार के राजस्व के रूप में नहीं हैं, वास्तव में कम्पनी को राजस्व की हानि हुई है। चूंकि यह राशि जो कि वसूली नहीं गई है, इस पर राजस्व हिस्सेदारी के भुगतान हेतु विचार किया गया है, कम्पनी दोहरे खतरे का सामना करती है, एक तरफ तो अभिदाता जो भुगतान करने में विफल है तथा दूसरी ओर लाइसेंसधारक प्रदाता जो इस प्रकार की बिलिंग जिसमें धन नहीं वसूला गया हो, को कटौती के लिए अनुमत नहीं करता है।

प्रबंधन का तर्क युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि लाइसेंस अनुबंध सकल राजस्व से केवल तीन कटौतियों की अनुमति देता है, ए जी आर में सकल राजस्व से अप्राप्य ऋण की कटौती देना लाइसेंस शर्तों के अनुरूप नहीं था। इसके अतिरिक्त भविष्य में वसूल की जाने वाली राशि पर राजस्व हिस्सेदारी की गणना हेतु बट्टे खाते में डाले गये अप्राप्य ऋण वापिस राजस्व में शामिल नहीं किये गये हैं।

इस प्रकार, 2010-11 से 2014-15 की अवधि में सम्बन्धित राजस्व से अप्राप्य ऋण के समायोजन के कारण जी आर/ए जी आर ₹ 1026.01 करोड़ कम बताये गये तथा भारत सरकार को एल एफ तथा एस यू सी का क्रमशः ₹ 88.59 करोड़ तथा ₹ 39.49 करोड़ का कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक -2.11)।

#### **2.4.2 लीज़ लाइन व पोर्ट प्रभारों के कारण दावित अनियमित कटौती के परिणामस्वरूप ए जी आर कम बताये गये**

यू ए एल एल अनुबंध के खंड 19.2 के निबन्धनों में ए जी आर के निर्धारण के लिए अन्य वाहक को भुगतान किये गये लीज़ लाइन व पोर्ट प्रभार सकल राजस्व से कटौती करने के लिये उपयुक्त नहीं है।

वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के लिये टी टी एस एल व टी टी एम एल के अभिलेखों की समीक्षा से पता चला कि ए जी आर की गणना हेतु विचारित एक्सेस प्रभारों में लीज़ लाइन प्रभार व पोर्ट प्रभार शामिल नहीं किया था जिनका भुगतान वास्तव में अन्य वाहकों को किया गया था क्योंकि कम्पनी का यह मानना था कि यह थोक अन्तःसम्बद्ध लागत है। टी टी एस एल व टी टी एम एल के सम्बन्ध में कटौती के दावे की कुल राशि क्रमशः ₹ 123.61 करोड़ तथा ₹ 38.65 करोड़ बनती थी।

प्रबंधन ने बताया कि:-

- परिभाषा के अनुसार, पी एस टी एन दूरभाष लाइन, फाइबर आप्टीकल केबिल, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन लिंक, सेल्यूलर नेटवर्क, संचार उपग्रह तथा समुद्र के नीचे दूरभाष केबिल, से मिलाकर बना है ये सभी स्वीचिंग केन्द्र द्वारा अंतः सम्बद्ध होते हैं, इस प्रकार विश्व में किसी भी दूरभाष को किसी अन्य से संपर्क करने को अनुमत करता है। पोर्ट प्रभारों से अभिप्राय संचार नेटवर्क में एक्सेस पोइंट हेतु भुगतान योग्य प्रभार हैं तथा लीज लाइन प्रभार ऐसे प्रभार हैं जिनका भुगतान मूल रूप से नेटवर्क टर्मिनेशन पोइंट के मध्य प्रौद्योगिकी पारदर्शिता सम्प्रेषण के लिये

किया जाता है। इन परिभाषाओं के आधार पर, कम्पनी का कहना है कि पी एस टी एन प्रभारों में पोर्ट प्रभार व लीज लाइन प्रभार शामिल हैं क्योंकि वही एक्सेस प्रभारों की प्रकृति के हैं।

- चूंकि बी एस एन एल नेटवर्क में कॉल करने के लिये अभिदाता से अर्जित राजस्व ए जी आर में लिये जाते हैं, पोर्ट प्रभारों को ए जी आर से कटौती के रूप में अनुमति भी दी जानी चाहिये क्योंकि इस फीस का सीधा सम्बंध राजस्व से है और अन्य आपरेटरों के नेटवर्क में कॉल समाप्त करने के लिए एक्सेस प्रभार की तरह ही हैं। कम्पनी द्वारा लीज लाइन का उपयोग दूरभाष, डाटा व इंटरनेट सेवाओं के लिये किया जाता है। चूंकि कम्पनी ने ए जी आर में दूरभाष व डेटा व राजस्व को बताया है, कम्पनी ने कहा कि लीज लाइन प्रभार जोकि सेवा आपूर्ति से सीधे सम्बन्धित हैं, कटौती की अनुमति भी उसी तरीके से दी जानी चाहिये जैसे एक्सेस प्रभारों के सम्बन्ध में दी गई।
- पोर्ट प्रभारों व लीज्ड लाइन प्रभारों के कारण भुगतान उपभोक्ता के लिये कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु हैं तथा इंटरकनेक्शन लागत की तरह है और उसका भाग है।

प्रबन्धन का तर्क युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि लीज़ लाइन प्रभार व पोर्ट प्रभार अवसंरचना लागत की प्रकृति में फिक्सड लागत है और इंटर आपरेटर की वास्तविक कॉल से सम्बन्धित नहीं है। इसका विचार करते हुये, लेखापरीक्षा का यह तर्क है कि लीज़ लाइन प्रभार व पोर्ट प्रभार कटौती योग्य नहीं है।

इस प्रकार 2010-11 से 2011-12 के दौरान सकल राजस्व से लीज लाइन व पोर्ट प्रभारों की कटौती के कारण जी आर/ए जी आर ₹ 162.26 करोड़ कम बताये गये तथा भारत सरकार को एल एफ व एस यू सी का भुगतान क्रमशः ₹ 14.32 करोड़ तथा ₹ 6.20 करोड़ रु0 कम हुआ (अनुलग्नक-2.12)।

#### 2.4.3 बैंडविथ लिंक की शेयरिंग/लीजिंग से राजस्व का विचार न करना

परिशिष्ट II से अनुलग्नक II में निर्धारित राजस्व व लाइसेंस फीस के विवरण का फार्मेट (ए जी आर विवरण) जैसाकि यू ए एस एल अनुबंध के खंड 20.4 में दिया गया है, लाइसेंस अनुबंध का अभिन्न अंग है। विवरण में, मद I क “वायर लाइन अभिदाताओं से राजस्व” दर्शाने के लिये निर्धारित की गई है और मद 8 “बैंडविथ की बिक्री/लीज से राजस्व, लिंक, आर एवं जी प्रकरण, टर्नकी परियोजनायें आदि, दर्शाने के लिये निर्धारित की गई हैं।” यू ए एस एल अनुबंध के खंड 18.3 में व्यवस्था है कि राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर स्पेक्ट्रम यूसेज प्रभार उगाहने का सीमित प्रयोजन हेतु ए जी आर की गणना करते समय, वायर लाइन अभिदाताओं से राजस्व को हिसाब में नहीं लिया जायेगा।

वर्ष 2010-11 से 2014-15 में टी टी एस एल व टी टी एम एल के ए जी आर विवरणों की संवीक्षा से पता चला कि बैंडविथ लिंक, आर एवं जी प्रकरण, टर्नकी परियोजना आदि की

बिक्री/लीज से राजस्व ₹ 2461.47 करोड़ तथा ₹ 470.75 करोड़ लाइसेंस फीस (एल एफ) की गणना के लिये ए जी आर विवरणों में लिए गए थे लेकिन स्पेक्ट्रम यूसेज प्रभार (एस यू सी) के भुगतान हेतु इन पर विचार नहीं किया गया।

प्रबन्धन ने बताया कि लीज लाइन सेवा वायर लाइन सेवाओं के भाग के रूप में दी गई थी, वायरलेस सेवाओं के लिये नहीं। यह किसी स्पेक्ट्रम संसाधन का उपयोग नहीं करता है। एस यू सी का भुगतान वायरलेस राजस्व में किया जाता है जोकि स्पेक्ट्रम का उपयोग करता है। अतः ये राजस्व एस यू सी के प्रयोजन हेतु विचारित नहीं होते हैं।

प्रबन्धन का उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि बैंडविथ की शेयरिंग/लीजिंग से राजस्व सम्प्रेषण नेटवर्क से आता है जोकि सामान्यतः वायरलाइन व वायरलेस दोनों नेटवर्क के लिये आमतौर पर कॉमन होता है और इसीलिये इस मद को ए जी आर विवरण प्रारूप में अलग रखा गया था। पुनः लाइसेंस अनुबंध के निबन्धनों में, केवल वायरलाइन अभिदाताओं से प्राप्त राजस्व को एस यू सी की गणना के लिये छूट है।

इस प्रकार एस यू सी की गणना के लिये बैंडविथ, लिंक आदि की बिक्री/लीज से ए जी आर में राजस्व का समावेशन न किये जाने से राशि ₹ 2932.22 करोड़ थी, परिणामस्वरूप भारत सरकार को ₹ 104.26 करोड़ का कम भुगतान हुआ (अनुलग्नक-2.13)।

#### **2.4.4 पैसिसव अवसंरचना परिसम्पत्ति युक्त सबसिडियरी में होल्डिंग की बिक्री पर लाभ को टी टी एम एल द्वारा जी आर/ए जी आर की गणना में शामिल नहीं करना**

टी टी एम एल ने डब्ल्यू टी टी आई एल को सहायक कंपनी (21वीं सदी इन्क्राटेली लिमिटेड) में अपनी होल्डिंग मई 2010 में ₹ 956 करोड़ में बेची जिस पर लगभग 2010-11 के लेखों में अपनी सम्पत्ति की बिक्री पर ₹ 834.93 करोड़ का अर्जित लाभ दिखाया। तथापि, टी टी एम एल ने वर्ष 2010-11 के लिये ए जी आर की गणना हेतु इस लाभ पर विचार नहीं किया था।

उपरोक्त तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि करते समय प्रबन्धन ने बताया कि निवेश बिक्री के लाभ को राजस्व हिस्सेदारी के भाग के रूप में शामिल नहीं किया जाना चाहिये चूंकि बताये गये स्पष्ट निर्णय व कर कानून द्वारा यह समर्थित गैर अनुज्ञाप्त गतिविधि है।

लाइसेंस अनुबंध के निबन्धों में प्रबन्धन का उत्तर युक्तियुक्त नहीं है, जी आर/ए जी आर में राजस्व हिस्सेदारी की गणना हेतु विविध राजस्व शामिल किये जाने चाहिये तथा पी एवं एल लेखे में सहायक के रूप में सम्पत्ति की बिक्री पर लाभ आय के रूप में लेखांकित किया गया था।

इस प्रकार, वर्ष 2010-11 के लिये ए जी आर की गणना हेतु टी टी एम एल ने ₹ 834.93 करोड़ का लाभ शामिल नहीं किया, परिणामस्वरूप भारत सरकार को एल एफ व एस यू सी का भुगतान क्रमशः ₹ 83.49 करोड़ तथा ₹ 35.99 करोड़ कम हुआ।

#### 2.4.5 एल एफ व एस यू सी के कम/गैर भुगतान पर ब्याज

ऊपर उठाये गये मामलों पर (पैरा 2.2.1 से 2.4.4) एल एफ व एस यू सी का कम/गैर भुगतान क्रमशः ₹ 724.23 करोड़ तथा ₹ 387.00 करोड़ बनता था। एल एफ व एस यू सी के कम/गैर भुगतान पर ब्याज ₹ 782.37 करोड़ (अनुलग्नक- 2.14) था। ब्याज की गणना लाइसेंस अनुबंध में निर्धारित दर पर आधारित अर्थात् वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की विद्यमान प्राइम लैंडिंग दर से 2 प्रतिशत अधिक थी तथा गणना हेतु विचार की गई अवधि सम्बन्धित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से मार्च 2016 तक थी। जैसा कि लाइसेंस अनुबंध में निर्धारित था, ब्याज की गणना मासिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई है।

#### 2.4.6 यू ए एस/सी एम टी एस लाइसेंस अनुबंध के अनुलग्नक III के अंतर्गत अपेक्षित विवरणों का प्रस्तुतिकरण नहीं करना

यू ए एस/सी एम टी एस लाइसेंस अनुबंध के खंड 20.7 में व्यवस्था है कि राजस्व व लाइसेंस फीस (ए जी आर विवरण) के वार्षिक वित्तीय लेखा व विवरण अनुलग्नक में निर्धारित मानकों का पालन करते हुये तैयार किये जायेंगे। यू ए एस/सी एम टी एस लाइसेंस अनुबंध के अनुलग्नक III में वार्षिक वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु मानकों की व्यवस्था है। ए जी आर विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण तथा लेखापरीक्षा को भेजे गये सम्बन्धित लेखांकन अभिलेखों की संवीक्षा से यह निर्दिष्ट होता है कि सभी मानक पूर्ण रूपेण संकलित नहीं किये गये थे। विशेष तौर पर, सेवा कर, बिक्री कर, डिस्काउंट/रिबेट, सामान का बिक्री सम्पत्ति सूची, व्यय व बिना बिल वाले नम्बरों के लिए आय का सेट ऑफ संकलित नहीं किए गए थे।

प्रबन्धन ने बताया कि वे सम्बन्धित वर्षों के लिये लेखापरीक्षित ए जी आर बनाते समय लेखों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करते हैं जिसमें यह उल्लेख किया जाता है कि जैसाकि अनुलग्नक-I में टिप्पणी 5 में निर्दिष्ट है तथा यू ए एस एल अनुबंध 842-1017/2008-ए एस-IV दिनांक 20.10.2008 में अनुलग्नक-III द्वारा अपेक्षित है कि राजस्व व लाइसेंस फीस के विवरण के लिये टिप्पणियों में उपयुक्त प्रत्यक्ष मानकों से काफी भिन्नता है। तथापि, इससे समायोजित सकल राजस्व व लाइसेंस फीस देयों की गणना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

रिपोर्ट में दर्शाया गए राजस्व कम बताये जाने के उदाहरण पुष्टि करते हैं कि लाइसेंस फीस के भुगतान के लिये मान्य राजस्व न तो लाइसेंस शर्तों के अनुसार थे और न ही लेखों की तैयारी दूरसंचार विभाग द्वारा निर्धारित मानकों के पूर्णतया अनुरूप थे। ऐसे कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं।

- मानकों के अनुसार, राजस्व को किसी कटौती के बिना सकल रूप में दर्शाया जाना था। तथापि, जैसा कि इस रिपोर्ट के पैराग्राफ में वर्णित है, यह देखा जा सकता है कि छूट/कमीशन/वेवर, फ्री एयरटाइम आदि राजस्व से नेट आफ कर दिये गये थे तथा दूरसंचार विभाग को नहीं बताये गये।

- पी एस पी द्वारा संविदा की इन शर्तों के गैर अनुपालन पर दूरसंचार विभाग से प्रत्युत्तर मांगा गया था। दूरसंचार विभाग ने आज तक (मई 2017) प्रत्युत्तर नहीं दिया है।
- उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, दूरसंचार विभाग सेवा प्रदाताओं के अपेक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु मानकों का अनुपालन करने के निर्देश जैसा कि लाइसेंस अनुबन्ध के अनुलग्नक III में जो कि महत्वपूर्ण थे, जारी करने व उन्हें लागू करने में कई वर्षों तक विफल रहा। बाद में, वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान, कम्पनी ने अपने जी आर/ए जी आर कम बताये थे तथा दूरसंचार विभाग इसका पता नहीं लगा सका था।

आगे, लेखापरीक्षा में पता चला कि वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान टाटा ग्रुप के जी आर ₹ 68,796.25 करोड़ था, ₹ 21,221.76 करोड़ की कटौती का दावा किया था तथा औसत कटौती जी आर का 31 प्रतिशत वर्क आउट किया गया। यद्यपि टाटा ग्रुप द्वारा किया गया कटौती का दावा नियंत्रक संचार लेखा (नि सं ले) कार्यालयों द्वारा सत्यापन के अधीन था, सकल राजस्व का 69 प्रतिशत का मूल्यांकन कम्पनी द्वारा दूरसंचार विभाग के स्तर पर स्वघोषणा के आधार पर था।

लाइसेंस अनुबन्ध के अनुलग्नक-III के अनुसार, दू वि का एल एफ विंग भी टी एस पी द्वारा संभाली गई अपेक्षित सूचना प्राप्त करने में विफल रहा तथा इस डेटा के अभाव में सत्यापन व मूल्यांकन की प्रक्रिया अप्रभावी होगी।

इस प्रकार, सेवा प्रदाता के राजस्व हिस्सेदारी का सम्पूर्ण सत्यापन व मूल्यांकन जी आर के बजाय सेवा प्रदाताओं द्वारा दावित कटौतियों के सत्यापन पर केन्द्रित है।

## 2.5 लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर दूरसंचार विभाग/टी टी एस एल की प्रतिक्रिया

मैसर्स टी टी एस एल के द्वारा भुगतान योग्य राजस्व हिस्सेदारी की लेखापरीक्षा टिप्पणी, आगे की टिप्पणी हेतु दूरसंचार विभाग के साथ-साथ टी टी एस एल तथा टी टी एम एल को जनवरी 2017 के दौरान भेजी गई। टी टी एस एल व टी टी एम एल ने पुनः कहा (फरवरी 2017) कि लेखापरीक्षा टिप्पणियों के उत्तर परिसर लेखापरीक्षा के दौरान दे दिये गये थे।

दूरसंचार विभाग ने बताया कि (फरवरी 2017):-

- टी एस पी ने 2002-03 में जी आर व ए जी आर की मूल परिभाषा को चुनौती दी थी। तभी से, वहां दीर्घकालिक मुकदमेबाजी है जो आज तक जारी है।
- वर्तमान में दूरसंचार विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय में टी एस पी के विरुद्ध अपील की है तथा सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार विभाग के लाइसेंस अनुबन्ध की अपनी व्याख्या के अनुसार टी एस पी को मांग जारी करने की अनुमति है।
- दूरसंचार विभाग के लाइसेंस अनुबन्ध व पालिसी निर्णयों के अनुसार, सी ए जी द्वारा दिये गये अंतिम आंकड़ों के आधार पर मांग की जायेगी।

दूरसंचार विभाग की प्रतिक्रिया से यह सिद्ध होता है कि यद्यपि राजस्व हिस्सेदारी रिजीम एन टी पी-1999 के एक भाग रूप में प्रारम्भ की गई थी इसके क्रियान्वयन के 17 वर्ष बाद भी विभाग लाइसेंस अनुबंध के अनुसार देय राजस्व हिस्सेदारी वसूल नहीं कर सका।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि जब सरकार ने सभी आपरेटरों के लिये एल एफ अप्रैल 2004 से प्रभावी दो प्रतिशत तक कम करने का निर्णय किया था, दू वि ने आशा की थी कि सरकार के विरुद्ध चुनौती समाप्त करने के लिये आपरेटरों को यह कमी प्रोत्साहित करेगी। तथापि, एल एफ में कमी का कोई प्रत्याशित प्रभाव नहीं पड़ा तथा आपरेटरों ने जी आर/ए जी आर की परिभाषा तथा मांग पत्रों को चुनौती देकर सरकार के विरुद्ध मुकदमेंबाजी जारी रखी। इस प्रकार, पी एस पी को एल एफ की दर में कमी का लाभ मिला लेकिन मुकदमेंबाजी में पारस्परिक लाभ नहीं मिला।

